हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति

(तेरहवीं विधान सभा)

(वर्ष 2022-23)

उद्योग विभाग

भारत के नियन्त्रक -महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 201 6-17 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित है।

244वां प्रतिवेदन

(दिनांक: 12 अगस्त, 2022 को सदन में उपस्थापित किया गया।)

विषय सूची

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	समिति का गठन	(i)
2.	प्रस्तावना	(iii)
3.	प्रतिवेदन	(1-3)

समिति का गठन

सभापति:

श्रीमती आशा कुमारी

सदस्य:

2. श्री हर्षवर्धन चौहान
3. श्री अर्जुन सिंह
4. श्री रविन्द्र कुमार
5. श्री आशीष बुटेल
6. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर
7. श्री राकेश जम्वाल
8. श्री जीत राम कटवाल
9. श्री सुभाष ठाकुर
10. श्री होशयार सिंह
11. श्री भवानी सिंह पठानिया

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

1. श्री यशपाल शर्मा : सचिव
2. श्री जितेन्द्र सिंह कंवर : अवर सचिव एवं समिति अधिकारी

<u>प्रस्तावना</u>

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति (तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2022-23) समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार से **244वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित भारत के नियन्त्रक- महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष **2016-17(राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र)** की समीक्षा पर आधारित है, को सदन में उपस्थापित करती हूँ।

समिति (वर्ष 2022-23) का गठन हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 209 व 211 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या: वि0स0-विधायन समिति गठन/1-14/2018, दिनांक 28 मार्च, 2022 को किया गया।

समिति, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार एवं विभाग के अन्य पदाधिकारियों का आभार प्रकट करती है, जिन्होंने समिति को लिखित उत्तर की सूचना दिनांक 03 अगस्त, 2018 को उपलब्ध करवाई।

समिति, प्रधान महालेखाकार(लेखा परीक्षा), हिमाचल प्रदेश तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार का भी आभार प्रकट करती है जिन्होंने स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से समय-समय पर आयोजित समिति की बैठकों में अपना सहयोग दिया।

समिति ने दिनांक **03.08.2022** की आयोजित बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त इस प्रतिवेदन को अपनाया तथा सभापति महोदय को इसे सदन में उपस्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया।

समिति, सचिव, विधान सभा तथा इस सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करती है जिन्होंने इस प्रतिवेदन को तैयार करने में सहयोग दिया।

आशा कुमारी

दिनांक: 03 अगस्त, 2022
शिमला-171004.

(आशा कुमारी)
सभापति,
लोक लेखा समिति।

प्रतिवेदन

उद्योग विभाग

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 20 16-17 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) के विभागीय उत्तरों पर आधारित।

राज्य के वित्त

पैरा संख्या: 2.3.4 आबंटन प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोजन
पैरा संख्या: 2.3.4.2 अधिक मात्रा में अभ्यर्पण

टिप्पणी

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि वित्त विभाग (आधिक्य) से सम्बन्धित पैरों पर समिति अपना अभिमत सम्बन्धित प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 में देगी।

पैरा संख्या: 3.1 प्रयुक्ति प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

टिप्पणी

समिति इस पैरे को यहां से इस आश्य से समाप्त करती है क्योंकि इससे सम्बन्धित विभागीय कार्रवाई सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 के पैरा संख्या 3.1 में अपेक्षित रहेगी।

पैरा संख्या: 3.2 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा के समक्ष रखने में विलम्ब

सिफारिश

लेखों से सम्बन्धित सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण कर मामले की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत करवाएं।

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों

पैरा संख्या: 3.11 लाईमस्टोन निक्षेपों की खोज हेतु ड्रिलिंग पर अनुचित/निष्फल व्यय

सिफारिश

समिति जानना चाहती है कि जिला शिमला के चौपाल तहसील के गुम्मा में दूसरे ड्रिल होल मशीनरी व उपकरणों को शिफ्ट कर दिया गया है तथा क्या वहां पर ड्रिलिंग कार्य आरम्भ कर दिया गया है तथा गुम्मा-रोहणा क्षेत्र में जो अन्वेषण कार्य किया गया उस पर कितनवयय की गई और उससे विभाग क्या लाभ हुआ की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

राजस्व क्षेत्र

पैरा संख्या: 1.1.2 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति जुटाए गए कर-भिन्न राजस्व का ब्यौरा

सिफारिश

समिति निर्देश देती है कि विभाग भविष्य में बजट आकलन तैयार करते समय बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए बजट आकलन तैयार करें ताकि बजट आकलन व वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर कम से कम हो तथा बजट आकलन वास्तविक प्रतीत हो।

पैरा संख्या: 1.2 राजस्व के बकाया विश्लेषण

7) ग्राम तथा लघु उद्योग
10) अलौह खनन् तथा धातुकर्म उद्योग
12) उद्योग

मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति ने विभागीय प्रतिनिधि से जानना चाहा कि विभाग द्वारा बकाया शेष राशि को वसूलने हेतु क्या प्रयास किए गए तथा राशि को वसूल न करने के क्या कारण रहे के उत्तर में विभागीय प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि इसमें काफी अच्छी प्रगति हुई है। यह यू0सीज0 भेजने का मामला है, केवल 19 यू0सीज0 भेजने शेष हैं उनको भी जल्दी भिजवा देंगे के संदर्भ में समिति ने विभागीय प्रतिनिधि से जानना चाहा कि यह यू0सीज0 का मामला नहीं है बल्कि एरियर का मामला है। इसमें राशि बहुत बड़ी नहीं है, छोटी-छोटी राशियां है। विभाग इसको स्टडी करें, जो पैसा रिकवर

हो गया है वह तो ठीक है और जो नहीं हो सकता उनको बट्टे खाते में डालने हेतु मामले में सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर निर्धारित प्रपत्र पर वित्त विभाग के माध्यम से समिति के संवीक्षार्थ प्रस्तुत करें तथा जैसा भी हो इनको सैटल कर लीजिए क्योंकि इसमें बहुत छोटी-छोटी राशियां सम्मिलित है।

सिफारिश

मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति द्वारा दिए गए सुझाव अनुरूप जिन राशि की किन्हीं कारणों से वसूली करना सम्भव नहीं है उन मामलों में विभाग सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर निर्धारित प्रपत्र पर वित्त विभाग के माध्यम से समिति के संवीक्षार्थ प्रस्तुत करें तथा बकाया 19 यू0सीज0 के समायोजन की अद्यतन स्थिति से भी समिति को अवगत करवाया जाए।

****